

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/274/2020-21/ 16 (अप) /मत्स्य/राँची/दिनांक 22.03.2021

प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य के सचिव सह नि० एवं व्यय० पदा०,
मत्स्य निदेशालय, राँची।
जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत पाँचवें चरण में कुल मो० 3,00,000.00 (मो० तीन लाख) रुपये मात्र के निधि का अतिरिक्त आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं० 01 (आ०) दिनांक 04.04.2020, ऑनलाईन आवंटन सं० 18 एवं मत्स्य निदेशालय आवंटन सं० 01(आ०) दि० 07.04.2020, आवंटन सं० 02 (आ०) दि० 27.04.2020, आवंटन सं० 08 (आ०) दिनांक 15.10.2020 तथा आवंटन सं० 12 (आ०) दिनांक 18.02.2021 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं० 01 (आ०) दिनांक 04.04.2020 एवं ऑनलाईन आवंटन सं० 18 के आलोक में पाँचवें चरण में मो० 3,00,000.00 (मो० तीन लाख) रुपये मात्र संलग्न विवरणी अनुरूप निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाये।

3. (क) वित्त प्रभाग के परिपत्र सं०-239/बजट/दिनांक 30.03.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आबंटन किया जाता है।

(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाय।

4. आबंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ महालेखाकार कार्यालय से अवश्य मिलान (रिकान्सिलेशन) करा लिया जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 20-21 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित DDO का दायित्व होगा।

6. आबंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

7. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता से अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

22/3/21
(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/274/2020-21/ 16 (आ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 22.03.20

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/21
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/274/2020-21/ 16 (आ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 22.03.20

प्रतिलिपि संबंधित उपायुक्त/आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/21
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये मॉग संख्या-53/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन।

क्र०	स्थापना का नाम	वेतन	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S240500001010101	
1	2	3	4
1	मत्स्य निदेशक, राँची	60000	60000
2	जि० म० पदा०, खूँटी	240000	240000
वर्तमान आवंटन		300000	300000

कुल आवंटन :- मो० 3,00,000/-रु० (तीन लाख) रुपये मात्र।

16(310)
22/03/2021

22/03/21
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

1

पत्र संख्या - IV/274/20-21/V/16

दिनांक - 22-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 240500001010101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	91205	DRNFSH007 PRABHA NIRMALA MINZ SECTT TO DIR FISHRIES (TECH)	60,000.00 रुपये साहठ हजार
2	S 53 240500001010101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	91206	KHNFSSH001 ALKA PANNA DIST. FISH.OFFICER KHUNTI	240,000.00 रुपये दो लाख चालीस हजार

योग:

300,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन लाख

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मौग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 001 - निदेशन तथा प्रशासन & 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S240500001010101	Total
					वेतन	
1	2	3	4	5	6	7
1	Doranda	DRNFSSH007	Prabha Nirrnala Minz	Sectt To Dir Fisheries (Tech)	₹60,000.00 (91205)	₹60,000.00
2	Khunti	KHNFSSH001	Alka Panna	Dist. Fish. Officer Khunti	₹2,40,000.00 (91206)	₹2,40,000.00

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

कुल आवंटित राशि :- ₹3,00,000.00 (~~प्रभा-पन्ना~~) रुपये मात्र।

16 (अप)
22/03/2021

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES